

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक:एफ 28( )पंरावि/प्रशा.2/पंचा.प्र.अ./सेवा.नि./2017/1343 जयपुर,दिनांक: 7.4.17

:: आ दे श ::

निम्न कार्मिक पंचायत प्रसार अधिकारियों के रूप में अधीनस्थ सेवा में कार्यरत थे, को अधिवार्षिता की आयु पूरी कर लेने से उनके नाम के सामने अंकित तिथि से, सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम पंचायत प्रसार अधिकारी	वर्तमान पस्थापित स्थान	सेवानिवृत्ति तिथि
1	श्री विजय सिंह	पं.स. बुहाना (झुंझुनू)	30.04.2017
2	श्री हरदत्त सिंह	पं.स.भादरा (हनुमानगढ़)	30.06.2017
3	श्री भूराराम स्वामी	पं.स.नोहर (हनुमानगढ़)	31.08.2017
4	श्री राजेन्द्र सिंह चौहान	जिला परिषद धौलपुर	31.07.2017
5	श्री शरमन सिंह	पं.स.बसेडी (धौलपुर)	31.10.2017
6	श्री ताराचन्द गुर्जर	जिला परिषद अलवर	30.11.2017
7	श्री रमेश चन्द चतुर्वेदी	पं.स.मनोहरथाना (झालावाड़)	30.06.2017
8	श्री ओग प्रकाश शर्मा	पं.स.तालेडा (बून्दी)	31.07.2017
9	श्री जयपाल सिंह	जिला परिषद भरतपुर	31.10.2017
10	श्री वरदा लाल सालवी	पं.स.भीम (राजसमंद)	31.07.2017
11	श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा	पं.स.अटरू (बारां)	30.09.2017
12	श्री लक्ष्मीनारायण यादव	पं.स.किशनगंज (बारां)	31.12.2017
13	श्री हीरालाल वर्मा	पं.स.छीपाबडौद (बारां)	31.07.2017

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित पंचायत प्रसार अधिकारियों के विरुद्ध आज तक:-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम,1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जॉच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम,1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

आज्ञा से,



(हेमन्त स्वरूप माथुर)

शासन उप सचिव (जॉच)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद झुंझुनू, हनुमानगढ़, धौलपुर, झालावाड़, अलवर, बून्दी, भरतपुर, राजसमंद एवं बारां को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पंचायत प्रसार अधिकारी का विभागीय जॉच बकाया नहीं होने का प्रमाणीकरण आप द्वारा प्रेषित प्रमाण पत्र के आधार पर किया गया है। अतः कार्मिक के सेवानिवृत्ति तक किसी प्रकार की प्रतिकूल कार्यवाही विरचित होने पर पेंशन विभाग एवं इस विभाग को अवगत कराते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
3. विकास अधिकारी, पं.स. बुहाना (झुंझुनू), भादरा/नोहर (हनुमानगढ़), बसेडी (धौलपुर) मनोहरथाना (झालावाड़), तालेडा (बून्दी), भीम (राजसमंद), अटरू/किशनगंज/छीपाबडौद (बारां)
4. आदेश में वर्णित संबंधित पंचायत प्रसार अधिकारी
5. ए.सी.पी., मुख्यालय को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।
6. आदेश / रक्षित पत्रावली



शासन उप सचिव (जॉच)